कार्यालय नगर निगम जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

क्रमांकः– एफ–6 (   ) आ.राज.(सा.प्र.) / ननिज / 2013 / 380   दिनांकः– 11.3.13

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2012–13 में सभी निजी / व्यावसायिक भवनों / प्रतिष्ठानों पर किये जा रहे विज्ञापन का विज्ञापन शुल्क अविलम्ब नगर निगम जयपुर जोन कार्यालयों मे जमा कराये अन्यथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत कार्यवाही अमल में लायी जावेगी जिसमें कुर्की की कार्यवाही किया जाना भी शामिल है।

वर्ष 2012–13 में नगर निगम जयपुर द्वारा निगम क्षैत्र में किसी भी व्यक्ति / संस्था आदि को निगम की ओर से निजी / व्यावसायिक भवनों / प्रतिष्ठानों आदि पर विज्ञापन शुल्क एकत्र करने के लिए अधिकृत नही किया गया है। यदि किसी व्यक्ति, संस्था आदि द्वारा नगर निगम जयपुर क्षैत्र में विज्ञापन शुल्क एकत्र किया जाता है तो यह कृत्य पूर्णतया गलत एवं आपराधिक है जिसके लिए निगम द्वारा नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

सूचित रहे।

आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

प्रतिलिपिः–

1. जनसंपर्क अधिकारी, नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि सार्वजनिक सूचना को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करावें।
2. प्रोग्रामर, नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना को नगर निगम जयपुर की वेबसाईट पर प्रदर्शित करावे।

आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

F:\OM PRAKASH MEENA, 04-07-86\RO sir\RO Sir 2013\RO Sir Letter 2013 (1).doc